भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3719

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

3719. श्री नवीन जिंदल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज किए गए, आरोप-पत्र दायर किए गए, दोषसिद्ध किए गए और विचाराधीन मामलों की संख्या का राज्य-वार आंकड़ा क्या है;

(ख) क्या सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने अधिनियम के तहत यथा अधिदिष्ट अत्याचार के मामलों के विचारण के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की है तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसे न्यायालय स्थापित किए जाने अभी बाकी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान अधिनियम के तहत पीड़ित-उत्तरजीवियों को जारी राहत और पुनर्वास निधि का ब्यौरा क्या है तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा मुआवजे के भुगतान में दर्ज की गई देरी या कमी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में अपराधों से संबंधित आंकड़े संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2024 तक उपलब्ध हैं। वर्ष 2022 से 2024 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों, आरोप-पत्र दायर किए गए मामलों, दोषसिद्धि के मामलों और विचाराधीन मामलों की राज्य-वार संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 217 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम,

त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के प्रावधानों में यह स्पष्ट है कि मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से एक या एक से अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। हालांकि, जिन जिलों में इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या कम है, वहां राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ऐसे जिलों के लिए 'सत्र न्यायालय' को ही इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए अनन्य विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगी।

(ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' तथा 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' को लागू करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है। इस योजना के तहत, इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को केंद्रीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को मुख्य रूप से पांच घटकों के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अत्याचार के पीड़ितों को राहत पहुंचाना और पुनर्वास भी शामिल है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इस योजना के तहत जारी कुल निधियों और राहत पाने वाले पीड़ित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई केंद्रीय सहायता (रुपये करोड़ में)	अत्याचार से पीड़ित लोगों की संख्या जिन्हें राहत प्रदान की गई
1.	2022-23	392.71	88,172
2.	2023-24	535.30	79,667
3.	2024-25	495.29	99,965

संलग्नक-I

वर्ष 2022 से 2024 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों के लिए 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामलों, आरोप पत्र दायर किए गए मामलों, दोषसिद्धि के मामलों और वर्ष के अंत में विचाराधीन मामलों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3719, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के संदर्भ में संलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022			
		दर्ज मामले	आरोप पत्र दायर किए गए मामले	दोषसिद्धि के मामले	वर्ष के अंत में विचाराधीन मामले
1	आंध्र प्रदेश	2711	1851	44	8534
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	2
3	असम	23	10	1	83
4	बिहार	6655	5237	147	58775
5	छत्तीसगढ़	839	904	453	4216
6	गोवा	9	8	1	51
7	गुजरात	1609	1468	18	16157
8	हरियाणा	1633	744	54	3119
9	हिमाचल प्रदेश	213	152	5	796
10	झारखंड	957	439	49	3854
11	कर्नाटक	2410	1975	18	12486
12	केरल	1222	1131	61	5286
13	मध्य प्रदेश	10712	10501	1319	47597
14	महाराष्ट्र	3483	2962	114	18653
15	मणिपुर	1	0	0	6
16	मेघालय	0	0	0	0
17	मिजोरम	34	34	2	31
18	नागालैंड	0	0	0	0
19	ओडिशा	3675	3897	49	25659
20	पंजाब	162	69	11	373
21	राजस्थान	11273	5140	814	27128
22	सिक्किम	7	1	1	6
23	तमिलनाडु	1828	1355	138	6575
24	तेलंगाना	2332	2554	62	8856
25	त्रिपुरा	5	1	0	4
26	उत्तर प्रदेश	15373	13000	3168	76937
27	उत्तराखंड	115	100	0	526
28	पश्चिम बंगाल	194	224	1	1481
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	3	0	33
30	चंडीगढ़	4	1	0	4
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5	4	0	15
32	दिल्ली	130	100	0	526
33	जम्मू-कश्मीर	7	4	0	6
34	लद्दाख	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	1	0	0
36	पुडुचेरी	9	7	0	41
कुल		67633	53877	6530	327816

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023			
		दर्ज मामले	आरोप पत्र दायर किए गए मामले	दोषसिद्धि के मामले	वर्ष के अंत में विचाराधीन मामले
1	आंध्र प्रदेश	2382	1791	32	9304
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	2
3	असम	7	12	0	79
4	बिहार	7178	8495	182	66669
5	छत्तीसगढ़	586	594	140	4433
6	गोवा	6	5	0	52
7	गुजरात	1680	1584	61	16982
8	हरियाणा	1539	806	68	3569
9	हिमाचल प्रदेश	234	134	14	759
10	झारखंड	912	448	58	4129
11	कर्नाटक	2348	2115	27	13277
12	केरल	1313	1129	130	5375
13	मध्य प्रदेश	11090	10756	1462	51961
14	महाराष्ट्र	3797	3470	125	20822
15	मणिपुर	3399	5	0	11
16	मेघालय	0	0	0	0
17	मिजोरम	21	19	0	50
18	नागालैंड	0	0	0	0
19	ओडिशा	3358	3474	2	28476
20	पंजाब	116	108	6	429
21	राजस्थान	10902	4422	1859	28452
22	सिक्किम	2	2	0	6
23	तमिलनाडु	1967	1547	115	7144
24	तेलंगाना	2284	1554	58	9247
25	त्रिपुरा	9	4	0	8
26	उत्तर प्रदेश	15136	13565	2990	86145
27	उत्तराखंड	104	79	8	593
28	पश्चिम बंगाल	192	181	6	1582
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	1	0	34
30	चंडीगढ़	3	1	1	4
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	3	0	17
32	दिल्ली	130	116	30	545
33	जम्मू-कश्मीर	21	5	0	11
34	लद्दाख	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	4	2	0	43
कुल		70725	56427	7374	360210

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2024			
		दर्ज मामले	आरोप पत्र दायर किए गए मामले	दोषसिद्धि के मामले	वर्ष के अंत में विचाराधीन मामले
1	आंध्र प्रदेश	2151	1524	31	9567
2	अरुणाचल प्रदेश	2	1	0	3
3	असम	21	17	0	94
4	बिहार	7662	6003	262	71946
5	छतीसगढ़	653	713	78	4835
6	गोवा	8	7	0	54
7	गुजरात	1601	1572	54	17503
8	हरियाणा	1077	661	56	3910
9	हिमाचल प्रदेश	245	169	7	767
10	झारखंड	826	530	155	4326
11	कर्नाटक	2404	2143	29	14391
12	केरल	1209	981	110	5319
13	मध्य प्रदेश	10930	10662	2212	57278
14	महाराष्ट्र	4047	3553	96	23356
15	मणिपुर	290	0	0	11
16	मेघालय	0	0	0	0
17	मिजोरम	21	20	3	67
18	नागालैंड	0	0	0	0
19	ओडिशा	3303	3294	13	31631
20	पंजाब	166	70	2	462
21	राजस्थान	9290	4277	643	30983
22	सिक्किम	1	0	1	5
23	तमिलनाडु	1832	1579	81	8026
24	तेलंगाना	2716	2087	53	9913
25	त्रिपुरा	3	3	0	11
26	उत्तर प्रदेश	14650	12516	3150	94364
27	उत्तराखंड	165	143	10	710
28	पश्चिम बंगाल	203	175	1	1670
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	2	0	36
30	चंडीगढ़	5	1	0	5
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	5	0	22
32	दिल्ली	137	154	3	682
33	जम्मू-कश्मीर	20	4	0	14
34	लद्दाख	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	4	2	0	45
कुल		65646	52868	7050	392006
